


उत्तर-प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 2004 (प्रथम संशोधन) के नियम 5
के अंतर्गत सरकारी सेवकों द्वारा दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र

क्रम सं.	जनपद का नाम	सरकारी सेवक का नाम	पदनाम	विवाह की तिथि	विभाग/कार्यालय का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	बहराइच	सचिन वर्मा	न्यायाधिकारी	29-05-2019	जनपद न्यायाधीश, बहराइच

मैं सचिन वर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा निवासी- ग्राम व पोस्ट- महाराज नगर, जिला-लखीमपुर खीरी-262722 घोषणा करता हूँ कि मैंने विवाह के समय/पश्चात कोई दहेज नहीं लिया है।

दिनांक: 04-12-2021


(सचिन वर्मा)

न्यायाधिकारी-ग्राम न्यायालय
नानपारा-बहराइच ।